FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा–2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे	
i	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है ।	कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत–मोहरसोप, पथरगवां–कटगोड़ी, महेशपुर–लोटाबहरा, रोझी–शिवपुर, नेरूवा– भरतपुर, चरचा–सोनहत, बरबसपुर– शिवपुर, चोटिया–बहेराबंध, नागपुर–चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ–मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि. मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.707 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.202 हेक्टेयर कुल 3.309 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।
ii	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो उपवन संरक्षक की श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं हो)	प्रस्तावित केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर सड़क राईट–ऑफ–वे के भीतर किया जावेगा, जो कि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि है तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं होगी । प्रस्तावित क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता है :– आरक्षित वनभूमि – 1.707 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि – 1.400 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि – 0.202 हेक्टेयर कुल वन भूमि – **3.309** हेक्टेयर
iii	परियोजना की कुल लागत	390 लाख रूपये
iv	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिए वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई, उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए	कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत–मोहरसोप, पथरगवां–कटगोड़ी, महेशपुर–लोटाबहरा, रोझी–शिवपुर, नेरूवा– भरतपुर, चरचा–सोनहत, बरबसपुर– शिवपुर, चोटिया–बहेराबंध, नागपुर–चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ–मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि. मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही

		वन भूमि सड़क राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत है तथा मांग की गई भूमि न्यूनतम है। इसमें किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ।	सोनहत, खडगवां, भरतपुर एवं बैकुण्ठपुर विकासखण्ड अंतर्गत 50 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन–देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
vi	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी	सोनहत, खडगवां, भरतपुर एवं बैकुण्ठपुर विकासखण्ड अंतर्गत 50 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 35000 लोग लाभान्वित होंगे।
vii	सृजित रोजगार	1500 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।
2	परियोजना स्कीम का सीन	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
ii	जिला	कोरिया
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट	सूची संलग्न।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/ स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा	भूमिगत ऑप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल 3.309 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा	
i	वन की वैधानिक स्थिति ।	कोरिया वनमंडल :– आरक्षित वनभूमि – 1.707 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि – 1.400 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि – 0.202 हेक्टेयर कुल वन भूमि – **3.309** हेक्टेयर

ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा।	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत किया जाना है, अतएव मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता	आवश्यक नहीं है ।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा गोलाईवार गोसवारा	आवश्यक नहीं है ।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा है अथवा नहीं ?	नहीं है ।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित, जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हॉ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें । (मुख्य वन जीव अभिरक्षक की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है ।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत–मोहरसोप, पथरगवां–कटगोड़ी, महेशपुर–लोटाबहरा, रोझी–शिवपुर, नेरूवा– भरतपुर, चरचा–सोनहत, बरबसपुर– शिवपुर; चोटिया–बहेराबंध, नागपुर–चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ–मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि. मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु 3.309 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है ।
viii	क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणीयों की प्रजातियॉ	नहीं है ।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है ।
x	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है ।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक

iv	विस्तृत पुनर्वास योजना	निरंक
6	क्षतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा	
i	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र,बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या, प्रत्येक हिस्सों का आकार	आवश्यकता नहीं है ।
ii	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यकता नहीं है ।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कियान्वयन एजेन्सी समय सूची ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	आवश्यकता नहीं है ।
iv	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय लागत	निरंक
v	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो कि उपवन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है ।
vi	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है ।
7	पारेषण लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल पारेषण लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पारेषण लाईन की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
ii	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	मार्ग का अधिकार	आवश्यक नहीं है ।
iv	निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
v	वनक्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।

xii	बारहमासी नदियों, मार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं जीव मण्डल रिजर्वो से खनन की दूरी	आवश्यक नहीं है ।
xii	पुनः प्रयोग के लिए उपरी सतह मिट्टी के भण्डारण की प्रकिया	आवश्यक नहीं है ।
xiii	भूमिगत खनन कार्य में अपेक्षित अवतलन की मात्रा एवं जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है ।
11	लागत–लाभ विश्लेषण	आवश्यक नहीं है ।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है ? (हॉ/नहीं),यदि हॉ तो आवश्यक अभिलेख संलग्न है (हॉ/नहीं) ।	नहीं
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है ? (हॉ/नहीं), यदि हॉ तो –	
i	प्रारंभ तिथि सहित विवरण	नहीं
ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	नहीं
iii	की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण	नहीं
iv	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ?	नहीं
14	कोई अन्य सूचना	निरंक
15	संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विवरण	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज सलंग्न है।
16	निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत टिप्पणी	
i	वनभूमि से इमारती, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज का उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
ii	क्या जिला इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिए आत्मनिर्भर है ?	आवश्यक नहीं है ।
iii	प्रस्ताव के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों पर जीवकोपार्जन एवं जलाऊलकड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण	आवश्यक नहीं है ।

iv	कारणों सहित प्रस्ताव का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वन भूमि की मॉग न्यूनतम है ।

Jio Digital Fiber Pvt.

(अमन कुमार सिंह)
असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन मण्डलाधिकारी
कोरिया वन मण्डल,बैकुण्ठपुर
(श्रीमती प्रभाकर खलखो)